रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 257

No. 285] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 257

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सं. फा. 13(1)/2018/एमडब्ल्यू/श्रम/3602.—जबकि भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 26185–26228/2018 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम लेफ्टिनेंट राजन ढल्ल, चैरिटेबल ट्रस्ट, शीर्षक मामले में अपने दिनांक 31.10.2018 के आदेश के अनुसार श्रम विभाग को निर्देशित किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1)(क) या 5 (1)(ख) के तहत निर्धारित रूट के बाद अनुसूची रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की कवायद को फिर से करें;

और जबकि श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत यथाउपबंधित वेतन निर्धारण/संशोधन के लिये प्रक्रिया को चुना है और 04 अधिकारियों की मूल्य संग्रह समिति अर्थात् श्री लल्लन सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त, श्री अमरदीप, सहायक श्रम आयुक्त, श्री शशि भूषण, श्रम अधिकारी और श्री मनीष कुमार ठाकुर, निरीक्षण अधिकारी का गठन दिनांक 06.11.2018 के आदेश फा. 140/एडीडीआई.एलसी/श्रम/एक्शन/सीडब्ल्यूपी–8125/2018/273 के अनुसार किया गया;

और जबकि, उक्त समिति ने 10.11.2018 को बाजार सर्वेक्षण किया और राष्ट्रीय खाद्य संस्थान (एनआईएन) हैदराबाद, केन्द्रीय भंडार, दिल्ली, सफल और मदर डेयरी द्वारा निर्धारित मूल्य के खाद्य पदार्थों को प्राप्त किया और खादीग्राम उद्योग के लिए कपड़ों के घटक की लागत भी प्राप्त की;

और जबकि, खाद्य वस्तुओं और कपड़ों के घटक की औसत कीमत और आवास, प्रकाश और ईंधन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, न्यूनतम मनोरंजन और सामाजिक दायित्व जैसे घटकों के औसत प्रतिशत के आधार पर, जैसाकि सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व वर्कमैन बनाम रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड तथा अन्य नामक 1991 की सिविल अपील संख्या 4336 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.1991 के निर्णय में उल्लिखित है। न्यूनतम वेतन की प्रस्तावित दरें दिनांक 12.11.2018 को

श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गईं और दिनांक 13.11.2018 तथा 14.11.2018 को अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गईं। ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों, बाजार संघों, वाणिज्य के विभिन्न चैम्बरर्स, गैर–सरकारी संगठनों और सिविक समाज के सदस्यों की 12.11.2018 से शुरू होने वाली 2 महीने की अवधि के भीतर 11.01.2019 तक श्रमिकों सहित जनता से सुझाव/विचार/इनपुट मांगे गए;

और जबकि, दिनांक 09.01.2019 अधिसूचना संख्या फा. 13(1)/2018/एमडब्ल्यू/श्रम/50 के अनुसार श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों से प्राप्त सुझाव/विचार/इनपुट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 के तहत गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे गए थे;

और जबकि, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि मजदूरी की प्रस्तावित दरें 12.11.2018 को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं और 13.11.2018 और 14.11.2018 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, उसे स्वीकार किया जाए;

अब, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 1950 की अधिसूचना सं. 104–जे तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 6 फरवरी, 1967 की अधिसूचना सं. का. आ. 530 तथा इसके लिए अन्य सभी भाक्तियों जो उसे समर्थ बनाती हैं और दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023–2047 के साथ पढ़े जाने वाली, अधिसूचना का अनुपालन करते हुए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा दिनांक 26 जुलाई की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023–2047 में उल्लिखित सभी अनुसूची रोजगार में उल्लिखित श्रमिक/कर्मचारियों के वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन दर संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

रोजगार की अनुसूची	श्रमिक/कर्मचारियों का संवर्ग	न्यूनतम मजदूरी दर रूपये में	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन
सभी अनुसूची रोजगार	अकुशल	14,842/-	571/-
	अर्धकुशल	16,341/-	629/-
	कुशल	17,991/-	692/-
	लिपिकीय एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग		
	नॉन मैट्रीकूलेट	16,341/-	629/-
	मैट्रीकूलेट परंतु ग्रैजुएट नहीं	17,991/-	692/-
	ग्रैजुएट और उससे ऊपर	19,572/-	753/-

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से ये दरें लागू होंगी।

नोट:–1 वेतन की न्यूनतम दर नियत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला, 2001 (आधार 2001=100) से लिंक है। महंगाई भत्ता न्यूट्रलाईजेशन के लिए, समायोजन की दर अकुशल के लिए रुपये 1.35 प्रति प्वाइंट, अर्धकुशल के लिये रुपये 1.50 प्रति प्वाइंट कुशल के लिए रुपये 1.65 प्रति प्वाइंट, नॉन मैट्रीकूलेट के लिये रुपये 1.50 प्रति प्वाइंट, मैट्रीकूलेट परंतु ग्रैजुएट नहीं के लिए रुपये 1.65 प्रति प्वाइंट और ग्रैजुएट एवं उससे उपर के लिए रूपये 1.80 प्रति प्वाइंट है। समायोजन छः माह में होगा, अर्थात गत वर्श के जुलाई से दिसंबर तथा चालू वर्श के जनवरी से जून के लिए औसत सूचकांक नम्बर को लेकर प्रत्येक वर्श 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर को।

2. यदि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते में कमी होगी, इस स्थिति में विभिन्न संवर्गो के श्रमिक/कर्मचारी के लिए वेतन के लिए अधिसूचित लागू न्यूनतम मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. महंगाई भत्ते की राशि यदि भिन्नता (फ्रैक्शन) में है तो इसे अगले उच्चतर रूपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. राजेन्द्र धर, अपर सचिव (श्रम)